



राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ.1(1)(124)निमअ/स्था/2017/पार्ट-1 ~~16677~~  
17677  
आदेश

जयपुर, दिनांक : 3-9-2020

विभागीय आदेश क्रमांक 15007 दिनांक 18.08.2020 एवं आदेश 15195 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता परीक्षा-2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति तिथि में कार्यग्रहण करने की अवधि के अभिवृद्धि हेतु निवेदित की गयी समय सीमा तक अवधि के विस्तार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक कार्यग्रहण करने की अवधि में अभिवृद्धि की जाती है:-

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के लिए अवधि की अभिवृद्धि
1	दीपिका चारण	सागवाड़ा, दुंगरपुर	01 माह के लिए
2	सुनीता मीना	नादोती, करौली	15 दिवस के लिए
3	जितेन्द्र कुमार शर्मा	पावटा, जयपुर	04 माह के लिए
4	सोनिया कुमारी	अराई, अजमेर	04 माह के लिए
5	इन्दु	सांचौर, जालोर	10 दिवस के लिए
6	सुनिता कुमावत	खण्डेला, सीकर	15 दिवस के लिए
7	सुमित्रा चौधरी	टोंक	15 दिवस के लिए
8	मिथलेश कुमारी	मण्डरायल, करौली	40 दिवस के लिए

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

17678-99

क्रमांक: एफ.1(1)(124)निमअ/स्था/2017/पार्ट-1 ~~16678-99~~

जयपुर, दिनांक : 3-9-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता.....।
5. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.